

अंचल कार्यालय, महागामा

केश का प्रकार :-

अभिलेख संख्या :- 70/16.12

अपर समाहर्ता गोड्डा के पत्रांक 615/ रा0 दिनांक 17.05.2016 के आधार पर किया गया है जिसमें उन्होंने श्री मति राजबाला बर्मा मुख्य सचिव झारखंड सरकार द्वारा संदेहास्पद जमाबंदी की अभियान चलाकर जाँच कर समयवद्ध प्रभाव कारी कदम उठाते हुए अवैध जमाबंदी रद्द कर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेश प्राप्त है। अतः पत्र कि प्रति सभी राजस्व कर्मचारियों को निर्गत करते हुए पत्र में वर्णित विन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन मांग की गई। उक्त पत्र के अनुपालन में हल्का कर्मचारी श्री राजेन्द्र कुं. दास वा अंचल निरीक्षक श्री राजेन्द्र/ दास का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसमें उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि मौजा कुं. दास थाना नं0 802 गैरमजरुआ खाता नं0 24 दाग नं0 22 रकवा 10-04-00 किस्म पत्ती करी श्री कुं. कुं. का पिता श्रीकांत का साकिन कुं. कुं. का के नाम से पंजी 2 में नया जमाबंदी कायम है। जो संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः श्री कुं. कुं. का को दिनांक 24/5/16 समय 11:12 AM पूर्वाह्न में उक्त भूमि प्राप्त करने से संबंधित दस्तावेज की मूल प्रति सत्यापन हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष समर्पित करने का नोटिश निर्गत करें।

राजा  
24/5/16

अंचल अधिकारी,  
महागामा।

30/7/16

अभिलेख उपस्थापित।

सुप्रत कुं. झा के भीगत झा के श्वपुर जी  
बृष्ठा ठाकुर के रत. गहेन्द्र नारायण ठाकुर सा  
अनुष्ठी था. - बांग छिला - बांग उपखिला इन्होंने  
साक्ष्य के रूप में उई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया  
संग्रहित कार्गिल उरने हेतु समय ही बांग जी गई।  
अचली तिथि दिनांक 11.08.2016 को निर्धारित होगी।

sancha

राजा  
24/5/16

24/5/16



24.08.2021

अभिलेख उपस्थापित ।  
राजस्व उपनिरीक्षक - सह प्रभारी अंचल  
निरीक्षक महागामा से प्रश्नगत भूमि का भौतिक  
प्रतिवेदन के साथ अभिलेखीय प्रतिवेदन प्राप्त  
हुआ है जिसका अवलोकन किया। प्रतिवेदानुसार  
अवेध संदेहास्पद पंजी - II रैंजत को भूमि  
सक्षम पदाधिकारी से प्राप्त है। वर्तमान में  
उक्त भूमि पर भावेदक का मकानमय  
सदन के रूप में इखल है। एवं सपरिवार  
निवास कर रहे हैं। वंदोवस्तुएँ रैंजत  
समन कुमार झा की मत्त हो चुकी है  
इसलिए उनकी पत्नी के द्वारा हाजिरी  
के साथ कागजात समर्पित किया  
गया है।

अतः उपरोक्त के आलोक में  
अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की  
जाती है।

लेखापित

अंचल अधिकारी,  
महागामा।

अंचल अधिकारी,  
महागामा

सेवा में,

श्रीमान् अंचल अधिकारी,  
महागामा।

विषय :- अवैध संदेहास्पाद वाद संख्या 70/2016-17 सुमन कुमार झा  
पिता-श्रीकांत झा का जांच प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अवैध संदेहास्पाद वाद संख्या ..  
70/2016-17 सुमन कुमार झा पिता-श्रीकांत झा का जांच किया। जांचोपरांत पाया  
कि प्रश्नगत भूमि मौजा-बसुआ, थाना नं०-692 के गैरमजरूआ खाता सं०-24 के  
अंदर दाग नं०-32 का अंश रकवा 00-04-00 धूर किस्म- परती-कदीम अनुमंडल  
पदाधिकरी, गोड्डा के वंदोवस्ती केश नं०-52/2003-04 के माध्यम से सुमन कुमार  
झा पिता-श्रीकांत झा को प्राप्त हुआ है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। वर्तमान में  
सुमन कुमार झा की मृत्यु हो चुकी है। प्रश्नगत भूमि पर सुमन कुमार झा का  
मकानमय सहन के रूप में दखल है एवं इनका परिवार निवास कर रहा है।

अतः उपरोक्त के आलोक में उक्त जमाबंदी को सही मानते हुये अभिलेख  
की कार्रवाई बंद की जा सकती है। जांच प्रतिवेदन सादर सूचनार्थ सगर्पित।

विश्वासभाजन

24/8/21